फर्द अहकाम

ायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

ी शंकर बनाम विपक्षी : श्री चुन्नीलाल व अन्य

कदमा – धारा 144 जा.दी. पत्रावली संख्या : 59/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 4 से 6 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. व दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहें। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि एक वाद पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायलय उप जिला कलक्टर वल्लभनगर में प्रस्तुत किया गया जिसमें विपक्षीगण वादी के पक्ष में वाद निर्णिय होकर डिक्री पारित की गई। वाद पत्र की डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वल्लभनगर उपखण्ड न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय रेवेन्यु बोर्ड में अपील की गई जिसमें माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के आदेश को यथावत् रखा गया उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण/वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रीट पीटीशन दायर कर दी है जिसके नम्बर एसबी सिविल रीट पीटीशन न. 12434/2022 है जिसमें दिनांक 09.11.2022 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया कि – Meeanwhie and till the next date of hearing, status quo as if exists today with respect to the land in question shall be maintained. उक्त आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अभी भी प्रभावी है तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 जा.दी को इसी स्तर पर खारीज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पीटीशन न. 12434/2022 दिनांक 09.11.2022 में आदेश दिया है कि Meeanwhie and till the next date of hearing, status quo as if exists today with respect to the land in question shall be maintained.

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. में न्यायालय उप कल्क्टर वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 25/1980 के निर्णय व डिक्री दिनांक 1985 की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने बाबत् पेश किया गया था जबकि उक्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.11.20 वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के आदेश जारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 जा.दी का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी का स्वी किया जाता है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. के पुनः पेश के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. इसी पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
मांडर